E-mail: pqfsgj12@nic.in

Tel: 02836 228286

F.No. 3-16/RPQS-Kandla/22-23 (New/ALP) /1473

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय/Ministry of Agriculture & Farmer's Welfare

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)/(Department of Agriculture & Farmer's Welfare)

वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय

DIRECTORATE OF PLANT PROTECTIONQUARANTINE & STORAGE

क्षेत्रीय वनस्पति संगरोध केन्द्र

प्लॉट नंबर -159, **वार्ड** 10**बी/सी.** (**इफको मेन गेट के सामने**), **गांधीधाम, कांडला** (**गुजरात**)-370203/

Regional Plant Quarantine Station

Plot No. 159, Ward- 10B/C, Opposite IFFCO Main Gate, Gandhidham, Kandla (Gujarat)-370203

Dated:04.01.2023

सेवामे,

M/S. DPCS Pest Control (P) Ltd.
Plot No. 31, Survey No. 514/ Paiki-1, Village- Versamedi,
Taluka-Anjar, Distt.: Kutchh-370110 (Gujarat)
Email- dpcsgujrat@gmail.com
Mo. No. 9811136729

विषय:एन. एस. पी. एम - २२ के अनुसार <u>प्रधूमन प्रचालक के साथ धूमन एजेंसी</u> **के मान्यता/~~नवीनीकरण~~ एवं ~~अतिरिक्त प्रधूमनप्रचालक~~ मान्यता के लिए आवेदन के बाबत।**

(Application for new / ~~renewal~~ accreditation of **fumigation agency along with fumigation operator** as per **NSPM-22** Reg.)

आपका संदर्भ पत्र संख्या -....दिनांक 12.12.2022 / (Your Ref. Letter No.., Dated 12.12.2022)

महोदय,

कृपया एन. एस. पी. एम - २२ के अनुसार प्रधूमन एजेंसी और प्रधूमन प्रचालक को पंजीकरण/ ~~**नवीनीकरण**~~ (**New Registration / ~~Renewal~~**) ~~एवं अतिरिक्त प्रधूमनप्रचालक मान्यता~~ प्रदान करने के बारे में अपने आवेदन का अवलोकन करें । इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा आपकी शाखा और कार्मिकों का एक माह और पंद्रह दिनो के भीतर मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है ।

1. Shri Gyaneshwar Banchhor, DD, CBU, HQ, Faridabad (Mob. No.9820445396)
2. Sh. Shashi Kumar, PPO, LCO, Bhuj (Mob. No 9742551837)

इस मुल्यांकन कार्यक्रम में सुविधाओं और प्रधूमन प्रचालक / अतिरिक्त प्रधूमन प्रचालक अर्थात **Mr. Devanshu Prakash** की तकनीकी सक्षमता का मूल्यांकन करने के लिए व्यवारिक प्रदर्शन, **लिखित द्विभाषिक (Bilingual)** अंग्रेजी और हिंदी एवं मौखिक परीक्षा के द्वारा किया जाना शामिल है।

अनिवार्य उपकरणों (एन. एस. पी. एम - 22 का परिशिष्ट-6) की सूची में 0.1 ppm या 0.1 mg/m^3 फॉसफाइन गैस कंसेंट्रेशन मापने में सक्षम गैस मानीटरिंग उपकरणों का शामिल करना अपेक्षित है । स्थल चयन, आहाता, एएलपी गोलियों को रखने, गैस लीकेज चैक करने, प्रदर्शन आरम्भ होने के बाद समान रूप से आकडे दर्शाते हुए 4 घंटे, 24 घंटे पर गैस कंसेंट्रेशन की रीडिंग, जोखिम क्षेत्र मुल्यांकन के साथ सुरक्षा चिन्ह, रीड़िंग एवं डीगैसिंग पश्चात, टी. एल. वी., डीगैसिंग और प्रधूमन संबन्धित विभिन्न चरणों के फोटोग्राफ रिपोर्ट के साथ प्रस्तृत किए जाना अपेक्षित हैं । अत: आपसे अनुरोध हैं कि इस तकनीकी जांच और कार्य कर रहे कार्मिकों के वास्तविक सत्यापन के दौरान टीम के सदस्यों को पूरा-पूरा सहयोग प्रदान करें ।

भवदीय

04.01.23

उपनिदेशक (पी. पी.)

जारी..

प्रतिलिपि :-

1. Shri Gyaneshwar Banchhor, DD, CBU, HQ, Faridabad (Mob. No.9820445396)
2. Sh. Shashi Kumar, PPO, LCO, Bhuj (Mob. No9742558377)

आप इस परामर्श के साथ कि एएलपी से प्रधूमन का कार्य करने के लिए प्रधूमन एजेंसीका मूल्यांकन, जांच और मान्यता प्रदान करने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों (एन. एस. पी. एम - 22) के अनुसार उपरोक्त प्रधूमन एजेंसी की प्रारम्भिक जांच करें और मुल्यांकन समाप्त होने के बाद पहले कार्यदिवस को व्यावहारिक प्रदर्शन, **लिखित** और मौखिक परीक्षा के दस्तावेजी के साथ निर्धारित प्रपत्र में अपनी रिपोर्ट इस कार्यालय को अगली आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तृत करें ।

व्यावहारिक प्रदर्शन संक्षिप्त दिशानिर्देशों (अनुबंध-1) के अनुसार किया जाना और संलग्न प्रपत्र (अनुबंध-2) में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। आपको परामर्श दिया जाता है कि वे अन्य संबंधीत दस्तावेजों के अलावा **(I) मूल्यांकन के समय प्रत्येक प्रधूमन प्रचालक** के **नाम सहित 5 पासपोर्ट साईज़ तस्वीरे सफेद बैकग्राउंड के साथ (धुँधली, दानेदार या फ़र्जी नहीं) और टीम के द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित तीन नमूना हस्ताक्षर,** सत्यापन के बाद उनके प्रमाणपत्र की फोटो प्रतियां (ii) मूल्यांकन टी'म द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित हस्ताक्षरित अनुपालन करार (परिशिष्ट-3) और (iii) जहां लागू हो, वैध कैलीब्रेशनरिपोर्ट सहित, प्रमुख उपकरणों के मेक, मॉडल और क्रम संख्या का रिकार्ड (iv) **पिता के नाम के साथ पहचान प्रमाण के लिए प्रासंगिक दस्तावेज (सिर्फपॅन कार्डकी फोटो कोपी)**और(iii) अगर प्रधूमन प्रचालक किसी और प्रधूमन एजेंसी मे काम कर चुका है, तो एजेंसी के प्रबंधक (Manager) का NOC- अनापत्ति प्रमान पत्र और इस्तीफा पत्र (No objection certificate & Resignation letter) प्रस्तुत करें ।टीम के सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ।

04.01.23

उपनिदेशक (पी. पी.)